भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1509
(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

एमसीए-21 पोर्टल फाइलिंग

1509. श्री अरुण नेहरूः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में अब तक पंजीकृत कंपनियों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) एमसीए-21 पोर्टल फाइलिंग की लंबित स्थिति और अनुपालन दरों का जिला-वार, विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बहुल जिलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) तमिलनाडु में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के जिला-वार कितने मामले दायर किए गए और कितने मामलों को स्वीकार किया गया है तथा उनका सफलतापूर्वक हल किया गया है;
(घ) प्रमुख जिलों में वाणिज्यिक विवादों के लिए कौन-कौन से फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं; और
(ङ) राज्य निवेश संवर्धन एजेंसियों के साथ एमसीए के एकीकरण के माध्यम से एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली की प्रभावकारिता क्या है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) तमिलनाडु में पंजीकृत कंपनियों की जिलावार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) एमसीए-21 पोर्टल पर की गई फाइलिंग की लंबित स्थिति तथा अनुपालन दरों का जिला-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एमसीए-21 पोर्टल में ऐसा कोई कॉलम उपलब्ध नहीं है, जिसमें एमएसएमई-प्रधान जिलों से संबंधित डाटा दर्ज किया जा सके।

(ग) भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जिला-वार आंकड़ों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। यद्यपि, 31/12/2025 तक एनसीएलटी, चेन्नई पीठ द्वारा स्वीकार किए गए और समाधान किए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है: -

एनसीएलटी पीठ	स्वीकृत मामले	मामलों का समाधान
चेन्नई	854	99

(घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के प्रशासन से संबंधित है, तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के लिए परिचालित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के संबंध में ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ङ) वर्तमान में राज्य निवेश संवर्धन एजेंसियों के पास एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली नहीं है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 के भाग (क) के उत्तर में

क्रम	**जिले का नाम**	**31.12.2025 तक की संख्या**
1.	अरियालुर	56
2.	चेन्नई और	98037
3.	चेंगलपट्टू *	
4.	कोयंबटूर	24402
5.	कुड्डालोर	1424
6.	धर्मपुरी	807
7.	डिंडीगुल	1468
8.	अपक्षरित करना	3714
9.	कल्लाकुरिची	1
10.	कांचीपुरम	13972
11.	कन्याकुमारी	2751
12.	करूर	940
13.	कृष्णागिरी	2136
14.	मदुरै	5449
15.	नागपट्टिनम और	598
16.	मयिलादुथुराई **	
17.	नमक्कल	1800
18.	नीलगिरी	864
19.	पेरम्बलूर	289
20.	पुदुक्कोट्टई	554
21.	रामनाथपुरम	461
22.	सलेम	3762
23.	शिवगंगा	623
24.	तंजावुर	1964
25.	थेनी	692
26.	तिरुवल्लूर	7587
27.	तिरुवन्नामलाई	734
28.	तिरुवरूर	435
29.	थूथुकुडी	1703
30.	तिरुचिरापल्ली	3593
31.	तिरुनेलवेली	2512

32.	तेनकासी ***	
33.	तिरुपुर	06
34.	वेल्लोर	2496
35.	रानीपेट	
36.	तिरुपत्तूर ****	
37.	विलुप्पुरम	1023
38.	विरुधुनगर	1782

*** चेन्नई जिले में निगमित कंपनियों में चेंगलपट्टू की कंपनियां भी शामिल हैं**

**** नागपट्टिनम जिले में निगमित कंपनियों में मयिलादुथुराई की कंपनियां शामिल हैं।**

*****तिरुनेलवेली जिले में निगमित कंपनियों में तेनकासी की कंपनियां शामिल हैं।**

******वेल्लोर जिले में निगमित कंपनियों में रानीपेट और तिरुपत्तूर कंपनियां शामिल हैं।**

*****

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 के भाग (ख) के उत्तर में

क्र.सं.	जिले का नाम	31.12.2025 तक फाइल किए गए प्ररूप एमजीटी/7/7क के लिए अनुपालन दर प्रतिशत में #	31.12.2025 तक फाइल किए गए प्ररूप एओसी-4 के लिए अनुपालन दर प्रतिशत में#
1.	अरियालुर	66.67	66.67
2.	चेन्नई और		
3.	चेंगलपट्टू *	22.65	20.49
4.	कोयंबटूर	31.85	29.99
5.	कुड्डालोर	21.05	20.46
6.	धर्मपुरी	18.84	19.45
7.	डिंडीगुल	29.04	28.10
8.	इरोड	31.43	29.90
9.	कल्लाकुरिची	100.00	100.00
10.	कांचीपुरम	52.67	47.90
11.	कन्याकुमारी	24.84	25.44
12.	करूर	44.08	42.94
13.	कृष्णागिरी	34.11	31.43
14.	मदुरै	25.64	24.52
15.	नागपट्टिनम और		
16.	मयिलादुथुराई **	23.98	22.42
17.	नमक्कल	36.13	34.76
18.	नीलगिरी	23.78	24.57
19.	पेरम्बलुर	25.00	26.25

20.	पुदुक्कोट्टई	32.68	31.22
21.	रामनाथपुरम	29.62	28.74
22.	सलेम	25.77	24.95
23.	शिवगंगा	33.19	32.35
24.	तंजावुर	24.47	24.41
25.	थेनी	36.06	35.32
26.	तिरुवल्लूर	52.86	50.13
27.	तिरुवन्नामलाई	34.96	34.80
28.	तिरुवरुर	27.90	27.07
29.	तूथूकुडी	36.60	34.72
30.	तिरुचिरापल्ली	31.53	19.33
31. 32.	तिरुनेलवेली और तेनकासी ***	28.21	27.57
33.	तिरुपूर	50.00	50.00
34. 35. 36.	वेल्लोर रानीपेट **** तिरूपूर	23.59	23.06
37.	विलुप्पुरम	32.35	31.60
38.	विरुधुनगर	27.20	25.57

 # अनुपालन दर 31.3.2024 तक पंजीकृत सभी कंपनियों की है।

*** चेन्नई जिले में निगमित कंपनियों में चेंगलपट्टू की कंपनियां भी शामिल हैं**

**** नागपट्टिनम जिले में निगमित कंपनियों में मयिलादुथुराई की कंपनियां शामिल हैं।**

***** तिरुनेलवेली जिले में निगमित कंपनियों में तेनकासी की कंपनियां शामिल हैं।**

******वेल्लोर जिले में निगमित कंपनियों में रानीपेट और तिरुपत्तूर में कंपनियां शामिल हैं**

*****